

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनू (राज0)पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

राजस्व वाद संख्या :- 119/2022 (सरोज देवी बनाम करणीराम वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.03.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2025/1478 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम धनूरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1212/228 रकबा 0.1740 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0 में)	भूमि किस्म
1	सरोज देवी पत्नी विधाधर हि0 पूर्ण जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	1212/228मी	0.0640	बा.1
2	जगदीशप्रसाद पुत्र भगवानाराम हि0 3/88 जाति नायक, नेकीराम पुत्र भगवानाराम हि0 3/88 जाति नायक, मनीराम पुत्र चुनाराम हि0 1/22 जाति नायक, मुमताज पत्नी रामनिवास जाति मेघवाल 8/11, रतीराम पुत्र चुनाराम हि0 1/22 जाति नायक, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भगवानाराम हि0 3/88 जाति नायक, सरबती पत्नी भगवानाराम हि0 3/88 जाति नायक, सिलोचना पुत्री चुनाराम हि0 1/22 जाति नायक सा. देह खातेदार	1212/228मी	0.11	बा.1

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.07.2025 को जारी की गई।



41
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर